

राजस्थान सरकार  
निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.18(113)आईडब्ल्यूएमपी/निजभूस/2012/6585-6579 दिनांक 5/9/12

समस्त परियोजना प्रबन्धक,  
वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर,  
जिला परिषद (श्रीगंगानगर जिले के अतिरिक्त)

विषय :- आई.डब्ल्यू.एम.पी. अन्तर्गत आगामी किश्त की राशि जारी करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजनान्तर्गत वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में स्वीकृत परियोजनाओं हेतु आगामी किश्त की राशि प्राप्त हो चुकी है। भारत सरकार के निर्देशानुसार आगामी किश्त सम्बन्धित जलग्रहण क्षेत्रों में पूर्व में प्राप्त राशि के 60% से अधिक व्यय होने के उपरान्त ही जारी की जानी है। वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में स्वीकृत परियोजनाएं, जिनमें 20% राशि जारी की जा चुकी है, में प्रारम्भिक चरण मूल्यांकन भी आवश्यक है।

अतः जिन परियोजनाओं में उपरोक्त शर्तों की पालना हो चुकी है, उनमें अगली किश्त के प्रस्ताव संलग्न प्रपत्रों में इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, जिससे राशि जारी करने की कार्यवाही की जा सके।  
संलग्न: उपरोक्तानुसार

निदेशक

क्रमांक : एफ.18(113)आईडब्ल्यूएमपी/निजभूस/2012/6285-6579 दिनांक 5/9/12

प्रतिलिपि :

1. अतिरिक्त निदेशक (प्रथम/द्वितीय), निदेशालय, जयपुर।
2. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, जयपुर।
3. उपनिदेशक (I/WMP-I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII/MIES)/परियोजना अधिकारी (भू संसाधन), निदेशालय, जयपुर।
4. श्री.....उपनिदेशक/सहायक अभियन्ता, जिला प्रभारी.....।
5. समस्त लेखाधिकारी (श्रीगंगानगर जिले के अतिरिक्त), जिला परिषद
6. समस्त पी.आई.ए. एवं सहायक अभियन्ता, पंचायत समिति (श्रीगंगानगर जिले के अतिरिक्त)
7. ए.सी.पी., निदेशालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करावें।

निदेशक-11  
अतिरिक्त निदेशक-11

आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजनान्तर्गत आगामी किश्त प्राप्त करने के लिए परियोजनावार आवश्यक दस्तावेजों का विवरण :

वर्ष 2009-10 व 2010-11 में स्वीकृत परियोजनाएं, जिनमें प्रथम किश्त 20% जारी की जा चुकी है।

1. प्रमाण पत्र (संलग्न-1)।
2. प्रारम्भिक चरण मूल्यांकन रिपोर्ट मय एक्शन टेकन रिपोर्ट की प्रति।
3. उपयोगिता प्रमाण पत्र (संलग्न-2)
4. डब्ल्यू.डी.एफ. की सूचना। (संलग्न-3)

वर्ष 2011-12 में स्वीकृत परियोजनाएं, जिनमें प्रथम किश्त 6% जारी की जा चुकी है।

1. प्रमाण पत्र (संलग्न-4)।
2. उपयोगिता प्रमाण पत्र (संलग्न-5)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजनान्तर्गत वर्ष.....में स्वीकृत परियोजना आई.डब्ल्यू.एम.पी.....पंचायत समिति.....के अन्तर्गत :

1. डी.पी.आर. निर्धारित प्रक्रिया से अनुमोदित कराकर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करा दी गई है।
2. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समस्त रिकार्ड का संधारण नियमित रूप से किया जा रहा है।
3. प्रत्येक मद/उपमद में व्यय भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा अन्तर्गत है।
4. डब्ल्यू.सी.डी.सी., पी.आई.ए. तथा डब्ल्यू.सी. की वर्ष.....तक सी.ए. ऑडिट करा ली गई है।
5. डब्ल्यू.सी.डी.सी., से पी.आई.ए. व डब्ल्यू.सी. को पूर्व में प्राप्त राशि निर्धारित नॉम्स के अनुसार हस्तान्तरित कर दी गई है।
6. भारत सरकार की वेबसाईट पर समस्त सूचनाएँ जैसे बेस लाईन डेटा तथा डब्ल्यू.सी.डी.सी. से पी.आई.ए. व डब्ल्यू.सी. को हस्तान्तरित राशि की सूचना इत्यादि फीड कर दी गई है।
7. नियमानुसार लाभार्थी अंशदान प्राप्त कर डब्ल्यू.डी.एफ. खाते में जमा करा दिया गया है।
8. यदि पूर्व में निदेशालय से अनुमति के पश्चात कोई इन्टर/इन्द्रा बैच राशि हस्तान्तरित की गई है तो उसे इस राशि में से समायोजित कर लिया जायेगा।

पी.आई.ए. लेखाधिकारी, परियोजना प्रबन्धक,  
पंचायत समिति.....। जिला परिषद.....। वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर,  
जिला परिषद.....।

## उपयोगिता प्रमाण पत्र

आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजनान्तर्गत वर्ष..... में स्वीकृत परियोजना आई.डब्ल्यू.एम.पी.  
पंचायत समिति..... स्वीकृत क्षेत्रफल..... हैक्टयर तथा  
स्वीकृत राशि रु.....लाख में आदिनांक तक प्राप्त राशि रु.....एवं  
व्यय का मदवार विवरण निम्नानुसार है :

(राशि लाखों में)

मद	प्राप्त राशि	व्यय राशि	अवशेष राशि
प्रशासनिक			
निगरानी			
ई.पी.ए.			
क्षमता निर्माण			
डी.पी.आर.			
विकास कार्य			
आजीविका सम्बन्धी कार्यक्रमलाप			
उत्पादन प्रणाली			
कुल :-			
अर्जित ब्याज			
अवशेष राशि			
उपचारित क्षेत्रफल (हैक्ट. में)			
सृजित मानव दिवस			

पी.आई.ए. लेखाधिकारी, परियोजना प्रबन्धक,  
पंचायत समिति..... जिला परिषद..... वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर,  
जिला परिषद.....

## डब्ल्यू.डी.एफ. की सूचना

आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजनान्तर्गत वर्ष.....में रवीकृत परियोजना आई.डब्ल्यू.एम.पी.  
.....पंचायत समिति.....में डब्ल्यू.डी.एफ. की सूचना :

(र.शि रु. लाखों में)

जलग्रहण समिति का नाम	डब्ल्यू.डी.एफ. खाता संख्या	बैंक/शाखा का नाम	जमा राशि
कुल :-			

पी.आई.ए. लेखाधिकारी, परियोजना प्रबन्धक,  
पंचायत समिति.....। जिला परिषद.....। वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर,  
जिला परिषद.....।

## प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजनान्तर्गत वर्ष.....में स्वीकृत परियोजना आई.डब्ल्यू.एम.पी.....पंचायत समिति.....के अन्तर्गत :

1. डब्ल्यू.डी.टी. का नियोजन कर दिया गया है।
2. जलग्रहण समितियों का गठन कर लिया गया है।
3. जलग्रहण समितियों के सचिवों का चयन कर लिया गया है।
4. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समस्त रिकार्ड का संधारण नियमित किय जा रहा है।
5. प्रत्येक मद/उपमद में व्यय भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा अन्तर्गत है।
6. डब्ल्यू.सी.डी.सी., पी.आई.ए. तथा डब्ल्यू.सी. स्तर पर परियोजना हेतु पृथक से नियमानुसार खाते खुलवा दिये गये हैं।
7. डब्ल्यू.सी.डी.सी. से पी.आई.ए. व डब्ल्यू.सी. को पूर्व में प्राप्त राशि निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार हस्तान्तरित कर दी गई है।

पी.आई.ए.

पंचायत समिति.....।

लेखाधिकारी,

जिला परिषद.....।

परियोजना प्रबन्धक,

वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर,

जिला परिषद.....।

## उपयोगिता प्रमाण पत्र

आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजनान्तर्गत वर्ष.....में स्वीकृत परियोजना आई.डब्ल्यू.एम.पी.  
 .....पंचायत समिति..... स्वीकृत क्षेत्रफल..... हैवटेयर तथा  
 स्वीकृत राशि रु.....लाख में आदिनांक तक प्राप्त राशि रु.....एवं  
 व्यय का मदवार विवरण निम्नानुसार है :

मद	प्राप्त राशि	व्यय राशि	अवशेष राशि
प्रशासनिक			
ई.पी.ए.			
क्षमता निर्माण			
कुल :- *			

पी.आई.ए. लेखाधिकारी, परियोजना प्रबन्धक,  
 पंचायत समिति..... | जिला परिषद..... | वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर,  
 जिला परिषद..... |